फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर

प्रार्थी–श्री कालूलाल **बनाम** **विपक्षी** सरकार

कस्म मुकदमा :–रा.वा. (अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.A.) **प्रकरण संख्या** :–04/2019

	कार्यवाही विवरण	
22–12–2025	पत्रावली पेश हुई। उपभयपक्ष उपस्थित। पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित। वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दि. का पेश कर निवेदन किया कि वादी अपना उक्त वाद मे आगे कोई कार्यवाही नही चलाना चाहता है पुनः आवश्यकता होने पर वादी अपना पुनः दावा पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए दावा वादीगण विड्रॉ करना चाहते है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दि. का स्वीकार कर दावा विड्रॉ किया जाना फरमावे। पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर ने वादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दि. को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना चाहिर किया। अतः वादीगण के निवेदन पर वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दि. का स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक **22–12–2025** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर सलूम्बर जिला सलूम्बर	